न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 567 / 2017

अनवान : –

1. बेगराज पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी चिडिया गांधी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी चिडिया गांधी तहसील भादरा हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. ठाकरीदेवी पत्नी मनीराम जाति कुम्हार निवासी चिडिया गांधी तहसील भादरा हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. सुन्दर पुत्री मनीराम जाति कुम्हार साकिन चिडिया गांधी तहसील भादरा हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. रूकमा पुत्री मनीराम जाति कुम्हार साकिन चिडिया गांधी तहसील भादरा हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 07/11/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता नं. 308 / 343 प.न. 391 / 466 / 365 कि. न.6 को 0.253, 7 की 0.253, 8 की 0.253, 13 की 0.253, 14 की 0.253 15 की 0.253, 16 की 0.253, 17 की 0.253, कुल तादादी 2.0240 हैक्टर भूमि मनीराम पुत्र चतरूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जो की मनीराम पुत्र चतरूराम की स्व अर्जित भूमि थी।

मनीराम पुत्र चतरूराम की सेवा चाकरी वादी बेगराज व प्रतिवादी स0 1 धर्मपाल करते थे उनकी सेवा सुश्रुषा से खुश होकर मनीराम पुत्र चतरूराम ने उक्त भूमि की दिनांक 29.05.2001 को रजिस्टर्ड वसीयत वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में करवा दी थी। मनीराम पुत्र चतरूराम का दिनांक 18.08.2010 को देहान्त हो गया। मनीराम के देहान्त के बाद वादी व प्रतिवादी स0 1 मुताबिक वसीयत खातेदार काश्तकार हो चुके थे लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने अनुचित तरीके से विरासतन नामान्तरण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पांचों के नाम बहिब दर्ज करवा लिया तथा उक्त इन्द्राज वादी व प्रतिवादी स0 1 के हकों के मुकाबले शुन्य है। इसलिए रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता नं0 308 / 343 की कुल 2.0240 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का नाम कलमजद किया जाकर मुताबिक रजिस्टर्ड वसीयत वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 11:10:54 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि मनीराम की पैतृक भूमि थी जिसमें मनीराम के समस्त वारिसान का जन्मजता हक हिस्सा था तथा मनीराम को समस्त वसीयत करने का अधिकार नही था एवं न ही मनीराम ने ऐसी कोई वसीयत की थी। मनीराम के वारिसान के नाम जरिये विरासतन नामान्तरण भूमि सही दर्ज हुई है। यदि वादी को विरासतन नामान्तरण से ऐतराज था तो नामान्तरण की अपील करनी थी। वादी को दावा पेश करने का कोई अधिकार नही था वादी का वाद खारिज फरमावे।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गईः–

1. आया की रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 308/343 के प०न० 391/466 मु.न. 365 के किला न० 6 की 0.253 हैक्टेयर, 7 की 0.253 हैक्टेयर की 0.253 हैक्टेयर 13 की 0.253 हैक्टेयर 14 की 0.253 हैक्टेयर 15 की 0.253 हैक्ट 16 की 0.253 हैक्टेयर 17 की 0.253 हैक्टेयर कुल तादादी 2.0240 हैक्टेयर भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 1 दोनो वसीयत दिनांक 29.5.2001 के आधार पर ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है?

   वादी

2. आया जमाबन्दी दुरूस्त की जाकर वादग्रस्त भूमि वाके रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 308/343 की कुल तादादी 2.0240 हैक्ट मे से प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 दोनो को ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदराम करवा पाने का अधिकारी है?

   वादी

3. आया कि विवादित भूमि में मनीराम का 1/5 हिस्सा ही बनता था इसलिये समस्त भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नही था। तथा प्रतिवादीगण के हितो के मुकाबले शुन्य है इसका वाद पर क्या असर है?

   प्रतिवादी

4. आया कि वादी को दावा लाने का कोई काज ऑफ एक्शन हासिल नही है इसका वाद पर क्या असर पड़ता है?

   प्रतिवादी

5. आया कि दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है इसका वाद पर क्या असर है?

   प्रतिवादी

6. दादरसी ?

साक्ष्य में वादी बेगराज पीडब्ल्यू–1 बयान किये गये। वादी के तनकीयात की समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 11 बारानी ईएक्सपी–1, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहम मनीराम, असल वसीयत दिनांक 29.05.2001 ईएक्सपी–2 जिसकी चित्रप्रति ईएक्सपी 2ए, चित्रप्रति आधार कार्ड बेगराज, नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77 ईएक्सपी–3 पेश किये। साक्ष्य में पीडब्ल्यू–2 मोहनलाल पुत्र नथमल शर्मा ने बयान कराये की मनीराम ने 11 बारानी की भूमि की वसीयत अपने पुत्रों वादी व प्रतिवादी सं0 1 [illegible] मे करवायी थी वसीयतकर्ता के अंगूठा निशान ए–बी व गवाह के हस्ताक्षर सी–डी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 11:10:54 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

साक्ष्य प्रतिवादी में रूकमा व सुंदर देवी द्वारा बयान करवाये गये।

वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी ने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 1984 पेज न0 392, हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 वसीयत उत्तराधिकारी धारा 39 पेज न0 120 से 123 पेश किये, जिनका हमने अध्ययन कर इन्हें मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

तनकी नम्बर 1 व 2:– तनकी न0 1 व तनकी न0 2 को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी का कथन है कि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 308/343 के प०न० 391/466 मु.न. 365 के किला न० 6 की 0.253 हैक्टेयर, 7 की 0.253 हैक्टेयर की 0.253 हैक्टेयर 13 की 0.253 हैक्टेयर 14 की 0.253 हैक्टेयर 15 की 0.253 हैक्ट 16 की 0.253 हैक्टेयर 17 की 0.253 हैक्टेयर कुल तादादी 2.0240 हैक्टेयर भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 1 दोनो वसीयत दिनांक 29.5.2001 के आधार पर ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ईएक्सपी 2 ए के मुताबिक उक्त वाद भूमि की वसीयत मनीराम द्वारा अपने पुत्रों वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में बहिब करवायी गयी है जो की दोह गवाहन महेन्द्र व धन्नाराम की उपस्थिति में वसीका नवीस मोहनलाल द्वारा तहरीर करवाई गई है एवं उप पंजीयक नोहर द्वारा रजिस्टर्ड है। वसीका नवीस मोहनलाल द्वारा वसीयत बाबत बयान दिये गये एवं वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी 11 बारानी सम्वत 2073–73 के खाता स0 308/348 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि मनीराम के नाम दर्ज रही है एवं मृत्यु प्रमाण के मुताबिक 18.08.2010 को मनीराम का देहान्त हो चुका है। मनीराम द्वारा अपने पुत्रों वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में अपने नाम दर्ज भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत की गई है जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम बहिब दर्ज है वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी साबित है एवं मुताबिक वसीयत वादी व प्रतिवादी स0 1 अपने नाम वाद भूमि दर्ज करवाने एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी का कथन है कि वाद भूमि पैतृक भूमि है एवं मनीराम को पैतृक भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नही है प्रतिवादी द्वारा केवल कथन किया गया गया है पैतृक भूमि बाबत ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे उक्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित हो। केवल कथनों के आधार पर वादी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि जरिये विरासतन नामान्तरण वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के नाम बहिब दर्ज है जबकि उक्त वाद भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत मनीराम द्वारा अपने पुत्रों वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत की गई है अतः प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का नाम कलमजन करवाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 11:10:54 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मुताबिक वसीयत वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने में वादी सफल रहा है इसलिए तनकी न0 1 व 2 का निर्णय बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 3</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था यह तनकी, तनकी न0 1 व 2 पर आधारित है जिसका विस्तृत निर्णय किया जा चुका है प्रतिवादी का कथन है कि मनीराम का 1/5 हिस्सा बनता था इसलिए मनीराम को समस्त भूमि की वसीयत करने का अधिकार नही था जबकि अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे उक्त भूमि पूर्व में मनीराम के पूर्वजों के नाम दर्ज रही हो अर्थात पैतृक भूमि बाबत कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है केवल कथनों के आधार पर प्रतिवादीगण अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। मनीराम द्वारा दिनांक 29.05.2011 को वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में उक्त वाद भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत की गई है एवं उक्त वसीयत के खंडन में भी कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है अतः उक्त वसीयत आदिनांक वैध है, अतः उक्त तनकी को प्रतिवादी साबित करने में असफल रहे है इसलिए तनकी न0 3 का निर्णय बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 4</u> व 5:– उक्त दोनो तनकीया, तनकी न0 1, 2 व 3 पर आधारित है जिनका विस्तृत निर्णय किया जा चुका है तनकी न0 1, 2 व 3 तीनो का निर्णय बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण किया जा चुका है इसलिए उक्त तनकीयो का निर्णय भी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण किया जाता है।

दादरसी। समस्त तनकीआत का निर्णय हो चुका है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता नं. 308/343 प.न. 391/466/365 कि. न.6 को 0.253, 7 की 0.253, 8 की 0.253, 13 की 0.253, 14 की 0.253 15 की 0.253, 16 की 0.253, 17 की 0.253, कुल तादादी 2.0240 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 11:10:54 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 567 / 2017
अनवान : –

1. बेगराज पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी चिडिया गांधी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी चिडिया गांधी तहसील भादरा हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. ठाकरीदेवी पत्नी मनीराम जाति कुम्हार निवासी चिडिया गांधी तहसील भादरा हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. सुन्दर पुत्री मनीराम जाति कुम्हार साकिन चिडिया गांधी तहसील भादरा हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. रूकमा पुत्री मनीराम जाति कुम्हार साकिन चिडिया गांधी तहसील भादरा हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 567 सन 2017 निर्णय दिनांक 07/11/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मांगेराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है एवं घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता नं. 308 / 343 प.न. 391 / 466 / 365 कि. न.6 को 0.253, 7 की 0.253, 8 की 0.253, 13 की 0.253, 14 की 0.253 15 की 0.253, 16 की 0.253, 17 की 0.253, कुल तादादी 2.0240 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 11:10:54 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर